भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2393

दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

72वां और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम

2393. श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पंचायती राज कानूनों के संबंध में 72वें संविधान संशोधन अधिनियम और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को सख्ती से लागू करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है;

(ख) तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कानून दादरा और नगर हवेली में लागू किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ) संविधान (72 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत त्रिपुरा की राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या के निर्धारण के बारे में है। भारतीय संविधान में 73 वें संविधान संशोधन 1992 में एक नया भाग IX सम्मिलित किया है जिसे "पंचायत" नाम से उल्लेखित किया गया है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 (ण) तक के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं और एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है जिसमें पंचायतों के कार्यों के 29 विषय हैं। यह भारत के

संविधान के अनुच्छेद 40 को लागू करने की दिशा में है, जो राज्य के नीति के निदेशात्मक सिद्धान्तों में से एक को प्रतिस्थापित करता है कि, ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों को प्रदत्त करेगा जिससे कि वे स्व-शासन की ईकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें। तदनुसार, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने संवैधानिक अधिदेश को लागू करने के लिए संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश पंचायती राज अधिनियमों / विनियमों को अधिनियमित किया है। वर्तमान में, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है; और दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर दादरा और नगर हवेली सहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था है।

*****